न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) **अपील/डिक्री/टीए/3238/2004/बीकानेर**

1– हाजी खां पुत्र ईलाई बक्श, जाति मुसलमान निवासी ग्राम सूरासर, तहसील पूंगल व जिला बीकानेर।

---- अपीलांट

बनाम–

1– राजस्थान सरकार,

2– सहायक वनसंरक्षक, वन विभाग, इ.गा.न.प. स्टेज द्वितीय खण्ड प्रथम, बीकानेर।

---- रेस्पोडेन्टस

(2) **अपील/डिक्री/टीए/3239/2004/बीकानेर**

1– सलाम खां पुत्र जिवाया खां, जाति मुसलमान निवासी ग्राम सूरासर, तहसील पूंगल व जिला बीकानेर।

---- अपीलांट

बनाम–

1– राजस्थान सरकार,

2– सहायक वनसंरक्षक, वन विभाग, इ.गा.न.प. स्टेज द्वितीय खण्ड प्रथम, बीकानेर।

---- रेस्पोडेन्टस

खण्ड पीठ

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री भंवरसिंह सांदू, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री के0के0 पुरोहित, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री हनुमान प्रसाद गुनार्डिया, उप राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

निर्णय **दिनांक :– 11.07.2022**

यह दो अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत विद्वान अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, इ.गा.न.प. बीकानेर द्वारा अपील सं0 126/2003 एवं 109/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–06–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– उपरोक्त दोनों अपीलों में पक्षकार, वादग्रस्त भूमि एवं विषय वस्तु समान होने से उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा भी एक ही निर्णय से किये जाने के फलस्वरूप इस न्यायालय द्वारा भी दोनों अपीलों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की हस्ताक्षरित एक–एक प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली के साथ संलग्न की जावें।

3– दोनों अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट हाजी खां एवं सलाम खां की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय सहायक उप निवेशन आयुक्त, प्रथम, बीकानेर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 95 रकबा 49 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 4 मिन रकबा 69 बीघा ग्राम सूरासर में स्थित है। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर विद्वान विचारण न्यायालय ने योग्य उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर वादीगण को विवादग्रस्त आराजीयात का टिनेन्ट नहीं मानते हुए दिनांक 11–03–2003 को वादी का वादपत्र खारिज कर दिया गया। उक्त दोनों निर्णय व डिक्री से क्षुब्ध होकर अपीलांट की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इ.गा.न. प. बीकानेर के समक्ष दो अपीलें प्रस्तुत होने से विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22–06–2004 को दोनों अपीलें अपीलांट खारिज कर दी गई उक्त आलौच्य निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने दो अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5– योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री खिलाफ कानूनी, खिलाफ न्याय एवं मिसल में उल्लेखित तथ्यों के विपरीत होने से गैर कानूनी होने के कारण निरस्त योग्य है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने तनकी सं0 1 वादी/अपीलांट के विरूद्व व प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट के हक में तय करने में विधिक भूल की है क्योंकि रेस्पोडेन्ट जिस पर इस तनकी को साबित करने का भार था, द्वारा कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य इस तनकी को साबित करने हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, केवल रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं0 1 व 2 के जवाब दावे को आधार मानते हुए यह

निष्कर्ष निकाला कि जवाब दावे के आधार पर विवादित भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवंटित होना पाई गई है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने केवल मात्र नामान्तरकरण की छाया प्रति जिसके द्वारा विवादित भूमि का रेकार्ड में वन विभाग के नाम का अंकन बताया गया है, को आधार मानते हुए तनकी सं0 2 रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित कर दी जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा ना तो नामान्तरकरण की प्रति प्रस्तुत की और ना ही उसे एक्जीविट कराकर साबित कराया गया। तनकी सं0 3 भी अपीलांट के विरूद्व तय करने में विधिक त्रुटि की है क्योंकि रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल अपने जवाब दावे में यह उल्लेख किया गया कि अपीलांट/वादी को विवादित भूमि के बदले अन्य जगह दे दी गई है जबकि इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। अपीलांट विवादित आराजी पर सम्वत् 2028 से काबिज है और उसने विनिमय में कोई अन्य भूमि नहीं ली। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण नहीं कर गलत निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जवाब दावे में कथन किया कि विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं0 2 की तारबंदी की हुई है जबकि इसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने केवल औरल साक्ष्य के आधार पर बिना किसी साक्ष्य के दावा व दोनों अपीले खारिज कर दी। खसरा गिरदावरी में अपीलांट का कब्जा है। अपीलांट को विनिमय में भूमि मिली ही नहीं है। सरकार का कथन गलत है। विनिमय में दी गई भूमि संबंधी कोई दस्तावेज सरकार द्वारा पेश नहीं किया गया है। विवादित आराजी पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त है। अन्त में दोनों अपीलें अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– इसके विपरीत योग्य उप राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट्स ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान परीक्षण न्याालय ने दिनांक 10–03–2003 को वादी का वाद खारिज किया जिसकी अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय में होने पर उन्होंने भी अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22–06–2004 से अपीलांट की अपील सही खारिज की गई। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विवादित आराजी वन विभाग के नाम है। अन्त में दोनों अपीलें अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया गया।

7– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण सुनी व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

8– विद्वान सहायक उप निवेशन आयुक्त, प्रथम, बीकानेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11–03–2003 में अंकित किया कि विवादित आराजी राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवाप्त की जाकर वन विभाग को विधिवत् दी गई है तथा वादी ने विनिमय में अन्य भूमि प्राप्त कर अन्य को बेचान भी कर चुका है। ऐसी स्थिति में धारा 88, 92 (क) के प्रावधानों की क्षतिपूर्ति नहीं होती है। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रेकार्ड तहरीर करते समय कोई लिपिकीय भूल हो जाती है उसे ठीक किया जा सकता है किन्तु इस प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ है। वादाधीन विवादित भूमि विधिवत् राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवाप्त की जाकर वन विभाग को दी जा चुकी है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है।

9– विद्वान अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, इ.गा.न.प. बीकानेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22–06–2004 में माना कि विवादग्रस्त भूमि के बदले भूमि अपीलांट्स को मिल जाने के बाद अपीलांट्स विवादित भूमि के टिनेन्ट नहीं रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए विवेचनात्मक निर्णय पारित किया गया है जिसमें प्रथम दृष्ट्या कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलें अपीलांट्स खारिज की जाती है।

10– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि कार्यालय आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर के पत्र क्रमांक 19121 दिनांक 27–12–1988 द्वारा सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, छतरगढ़ मु0 बीकानेर को पत्र में अंकित है कि राजस्व तहसील बीकानेर ग्राम सूरासर एवं श्रीरामसर के 55 खातेदारों की भूमि इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के बायें किनारे 2 किमी. की डेप्थ में वृक्षारोपण एवं चारागाह हेतु वन विभाग द्वारा अवाप्त की गयी थी। उक्त खातेदारों ने उप निवेशन में विनिमय में भूमि लेने का निवेदन किया है।

शासन उप सचिव, राजस्व (उपनिवेशन) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(95)राज/उप/88 दिनांक 24–11–1988 से इन 55 खातेदारों में से संलग्न सूची के अनुसार 11 खातेदारों की 466–14 बीघा बारानी भूमि में विभाग को वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास हेतु आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ में उक्त 11 खातेदारों को उसी

किस्म व उतनी ही भूमि आवश्यक शर्तो के अधीन विमय में देने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की है। पत्र के साथ संलग्न सूची क्र0सं0 1 पर श्री हाजी खां/इलाही खां सा0 सुरासर अवापत भूमि ग्राम सुरासर खसरा नं0 95 रकबा 49–16 बीघा विनिमय प्रस्तावित ग्राम आडूरी खसरा नं0 63 रकबा 49–16 बीघा दर्ज है। क्र.सं. 4 पर श्री सलाम खां वल्द जवाए खां सा0 सुरासर अवाप्त भूमि ग्राम सुरासर खसरा नं0 4 मिन रकबा 69–00 बीघा विनिमय प्रस्तावित भूमि ग्राम आडूरी खसरा नं0 63 रकबा 69 बीघा दर्ज है।

11– नकल नामान्तरकरण सं0 56, 63 व 58 दिनांक 28–12–1991 द्वारा सी सलाम खां द्वारा अन्य व्यक्तियों की भूमि का बेचान किया गया है जिससे विनिमय में प्राप्त की गई भूमि शामिल है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा अवाप्त भूमि के बदले में विनिमय में भूमि प्राप्त की गई जिसका अन्यत्र बेचान कर दिया गया। विवादित भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गई। मौके पर वन विभाग का कब्जा होकर वृक्षारोपण किया जाना पाया जाता है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण विवादग्रस्त भूमि के खातेदार होना साबित नहीं कर पाये हैं। धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार रिकार्ड तहरीर करते समय कोई लिपिकीय भूल हो जाती है उसे ठीक किया जा सकता है किन्तु इस प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ है। अतः वादीगण का दावा काबिल खारिज ही सिद्ध होता है।

जिससे स्पष्ट है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम), इ.गा.न.प., बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 11–3–2003 द्वारा वीदगण का वाद विधिसम्मत खारिज किया है।

12– विद्वान अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 22–6–2004 में विस्तृत विवेचन करते हुए अपील खारिज की है जो पूर्णतया उचित है।

12– दोनों अधीनस्थ न्यायालयां के निर्णय समवर्ती है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

14– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपीलें अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, इ.गा.न.प. बीकानेर का निर्णय दिनांक 22–06–2004 एवं सहायक उप निवेशन आयुक्त, प्रथम, बीकानेर के

निर्णय व डिक्री दिनांक 11–03–2003 यथावत रखें जाते हैं। निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक संलग्न की जावें।

15– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवरसिंह सांदू)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य